फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री नेनूसिंह पिता श्री अभयसिंह चुंडावत C/o हिम्मत माली 383, रोड़ नंबर 5–ए अशोकनगर, उदयपुर (राज0)

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, देवगढ — प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा–अपील सूचना का अधिकार, 2005 — **पत्रावली संख्या 27/2022**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 28.06.2022 पत्रावली पेश हुई । अपीलांट अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, देवगढ से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, देवगढ वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया । लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, देवगढ से जरिये क्रमांकः सूचना/2022/41 दिनांक 25.05.2022 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा ए,बी,सी तीन बिन्दुओं की सूचना चाही गई । बिन्दु संख्या बी,सी की सूचना लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, देवगढ द्वारा क्रमांकः उपदे/सूचना/2022/29 दिनांक 21.04.2022 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डाक से अपीलार्थी को प्रेषित की जा चुकी है एवं बिन्दु संख्या ए में शेष सूचना सहायक कलक्टर, देवगढ से संबंधित होने से दिनांक 21.4.2022 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत सहायक कलक्टर, देवगढ को अग्रेषित करते हुए अपीलार्थी को भी अवगत करवा दिया गया है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, देवगढ के कार्यालय से देनी शेष नहीं होने से अपील निरस्त करवाने हेतु अनुरोध किया है। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, देवगढ की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, देवगढ की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 से चाही गई सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है तथा बिन्दु सं. ए में शेष सूचना सहायक कलक्टर, देवगढ की होने से धारा 6(3) के तहत लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार देवगढ द्वारा सहायक कलक्टर, देवगढ को अग्रेषित कर दिया गया है। सहायक कलक्टर, देवगढ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को अभिलेख पर उपलब्ध सूचना नियमानुसार उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार देवगढ के स्तर पर सूचना उपलब्ध करवाई जाना शेष नहीं होने से उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, देवगढ तथा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** लोक सूचना अपीलीय अधिकारी (जिला कलक्टर) राजसमंद	